State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/30–2/2013–14/ 2333 दिनांक 14.06.13

प्रति,

प्राचार्य

अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाए/शासकीय उ.मा.वि. ....

जिला ....

विषयः– दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नये अध्ययन केन्द्र बनाए जाने संबंध।

––00––

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार– *"ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।"*

इसी संदर्भ में राज्य के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक पंचायत/शिक्षक/शिक्षक पंचायत,जिनकी नियुक्ति 3 सितम्बर 2001 के पश्चात हुई हो एवं जिनके पास डी.एड. या बी.एड. की डिग्री नहीं है, के लिये दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस वर्ष आपके विद्यालय को दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अध्ययन केन्द्र बनाया जा रहा है। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में इस वर्ष लगभग 150 प्रशिक्षार्थी पंजीकृत किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्य हेतु 12 स्रोत व्यक्ति, अपने जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य से समन्वय कर नामित करें। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नार्म्स के अनुसार किसी स्कूली विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो एवं एम.एड./बी.एड./डी.एड./बी.टी.आई.प्रशिक्षित हों। विभाग से सेवानिवृत व्यक्तियों की सेवाएं भी इस हेतु ली जा सकती है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम हेतु नियमानुसार संलग्न पत्र के अनुरुप पद संरचना होगी एवं निर्धारित मानदेय देय होगा। संस्था प्राचार्य पदेन अध्ययन केन्द्र के प्रभारी होंगे। व्यवस्था व अन्य आवश्यक जानकारी हेतु संबंधित प्राचार्यों की एक दिवसीय बैठक दिनांक 19.06.13 को दोपहर 2.00 बजे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में निर्धारित है। बैठक में चिन्हांकित स्रोत व्यक्तियों की सूची एवं उपलब्ध अधोसंरचना संलग्न प्रपत्र में लेकर अनिवार्य उपस्थित होवे।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/30–2/2013–14 2334 दिनांक 14.06.13

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़,रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग,डी.के.एस.भवन,मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय पेंशनबाड़ा रायपुर को सूचनार्थ।

4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर को सूचनार्थ।
5. राज्य मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान,राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
6. कलेक्टर, जिला ....छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..को सूचनार्थ।
8. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी ....अपने जिले के अध्ययन केन्द्रों के चिन्हांकित स्रोत व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
9. सर्व सहायक आयुक्त ....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सूचनार्थ ।
10. सर्व जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन...को सूचनार्थ।
11. सर्व प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान...को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, कृपया स्वयं स्थल का निरीक्षण कर प्राचार्य से चर्चा करें एवं स्रोत व्यक्तियों का चिन्हाकन कर सूची तैयार करावें व संबंधित प्राचार्य की 19.06.13 को एस.सी.ई.आर.टी. में आयोजित बैठक में उपस्थित सुनिश्चित करावें।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर